



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 118610

शपथपत्र प्रारूप-“अ”

11/05/2023

हम सुरेश चन्द्र शर्मा (नाम अध्यक्ष) श्री प्रवीन कुमार (नाम सचिव) अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) श्री कुमार सैन शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट हरदोई तहसील-अतरौली, जिला-अलीगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

1. यह हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री कुमार सैन शर्मा फार्मैसी कॉलेज (संस्था का नाम एवं पता) ग्राम व पोस्ट हरदोई तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्री कुमार सैन शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट (पता जहां पर भूमि स्थित है) ग्राम हरदोई तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में गाटा संख्या-531 एवं रकवा 0.810 हैक्टेयर (कुल रकवा 0.810 हैक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 531 एवं रकवा 0.810 हैक्टेयर (कुल रकवा 0.810 हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.07.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।



NOTARIAL

30/05/2023

(2)

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही, निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
  7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
  8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
  9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
  10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
  11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
  12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- यदि घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

**SECRETARY**  
**SHRI KUMAR SEN SHARMA**  
**PHARMACY COLLEGE**  
**HARDOI, ALIGARH**

Solely Affirmed before me  
Attested By शिव कुमार शर्मा  
Identified By शिव कुमार शर्मा  
And Who have been heard the  
contents here & have admitted the  
are to be correct.

30/8/23  
**Shiv Kumar Sharma**  
**NOTARY**  
**Teh. Chhapra**  
**(Aligarh)**